भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5747

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज

5747. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश, विशेषकर राजस्थान के दौसा जिले में गंभीर रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ख) सरकार द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के लिए अस्पतालों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज का खर्च लाखों में है जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग समय पर उपचार नहीं करा पाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में उपचार की लागत की तुलना में वित्तीय सहायता बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश में गंभीर बीमारी का निःशुल्क इलाज प्रदान करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनपी-एनसीडी के अंतर्गत राजस्थान सहित देश में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 372 जिला डे-केयर सेंटर और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में कैंसर सहित सामान्य एनसीडी की स्क्रीनिंग, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित इन सामान्य गैर-संचारी रोगों की जांच सेवा प्रदायगी के पैकेज का अभिन्न अंग है।

केन्द्र सरकार ने विशिष्ट स्तर पर कैंसर परिचर्या के सुविधा केंद्रों में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट कैंसर परिचर्या केन्द्र सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण नामक योजना कार्यान्वित की है। इस योजना के तहत राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) के लिए 120 करोड़ रुपये तक और विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्रों (टीसीसीसी) के लिए राज्य के हिस्से सहित 45 करोड़ रुपये तक का एकमुश्त अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। केन्द्र और राज्य के बीच निधियों की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। इस योजना के तहत, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर (एससीआई), एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर (टीसीसीसी) और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, झालावाड़ (टीसीसीसी) सहित 19 एससीआई और 20 टीसीसीसी को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सभी 22 नए एम्स में कैंसर उपचार सुविधाएं अनुमोदित की गई हैं। राजस्थान में एम्स जोधपुर में कैंसर सहित गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह पहल मौजूदा प्रयासों पर आधारित है, जिसमें जिला अस्पतालों में पहले से ही 372 डे केयर परिचर्या केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) से (ङ): सरकारी अस्पतालों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उपचार या तो नि:शुल्क है अथवा अत्यधिक रियायती दर पर है। किफायती और वहनीय उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा निम्नवत है:

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत, 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल-भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य आश्वासन/बीमा कवर प्रदान किया जाता है। हाल ही में, एबी पीएम-जेएवाई में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी आय को ध्यान में रखे बिना, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत उपचार पैकेज दवाओं और नैदानिक सेवाओं जैसे विभिन्न उपचार संबंधी पहलुओं को कवर करते हुए बहुत व्यापक हैं।

- अनिवार्य औषधियों और नैदानिक सुविधा केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रोगियों की जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय नि:शुल्क औषधि सेवा पहल और नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल शुरू की गई है।

- प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत जन औषधि केंद्र (जेएके) कैंसर रोधी दवाओं सहित किफायती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। पीएमबीजेपी योजना के तहत, 2,047 दवाएं और 300 सर्जिकल उपकरण, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण उपलब्ध हैं।

- उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत), पहल में कैंसर सहित किफायती दवाएं प्रदान की जाती है। दिनांक 28.02.2025 तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 222 अमृत फार्मेसियां हैं, जो कैंसर सहित 6500 से अधिक दवाओं को अत्यधिक छूट पर बेच रही हैं।

- फार्मास्युटिकल्स विभाग (डीओपी) के तहत राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने 131 कैंसर-रोधी अनुसूचित फॉर्मूलेशन के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। एनपीपीए ने 28 कैंसर रोधी दवाओं का खुदरा मूल्य भी तय किया है।

- वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीन कैंसर-रोधी दवाओं के लिए सीमा-शुल्क को शून्य और जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है।

*****